

न्यायालय सहायक कलक्टर दोसा

जज अदालत

मिनोट कुमार

बनाम

श्रीमति आक्ली देवी

किरम मुकदमा नं०


19/21

अस्थायी निषेधाज्ञा

सं०

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5/2/26	नकील प्रार्थी अपो/अप्रार्थी क्र. 2, 4 की अरेस्ट में श्री प्रान्तिष्ठ गुरुज एडवोकेट उपस्थित / काले बरतजाट तामील/ हेतु पत्रावली दिनांक 09.02.2026 को पेश हो	
9/2/26	आज PO साहब अन्य काम में/भाटिंग/डूबाराश दोरे में/गर हारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 12/2/26 को	
12/2/26	नकील उभय पक्ष अपो/प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिकारता की अंतरिम क्र. नि. पट कथन सुनी गयी पत्रावली में उल्लुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। कथन पट मनन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अप्रुवीध क्षति घेने की संभावना प्रतीत होती है। अतः प्रकरण में वर्णित भूमि के वाद की सुनवाई के दौरान रुक-रुक होने की प्रभावना को मध्य नजर रखते हुए प्रकरण के गुणावशुन पट विन्याट किये बिना उभयपक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ग्राम रेवरवाल पटवार हल्हा रेवरवाल सू.अ.नि. नांगल बरली कच दीसा स्थित वादग्रस्त भूमि शक. 1003/2038, शक. 1005/2039, शक. 1006/2040, शक. 1130, शक. 1140, शक. 1144,	

107

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	<p>श.नं. 627, श.नं. 629, श.नं. 630, श.नं. 947, श.नं. 947/1950, श.नं. 950, लिंगा. 964, कुल किला 26 कुल रकबा 10.18 हेक्टेयर के मूलवाद के निस्तारण तक राजस्व रिमॉड की पचासिधति बकाये रखने हेतु प्रतिकथित किया जाता है। पत्रावली क्रमल शुमार घोर नम्बर से कम हो व मूलवाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर दौसा, जिला दौसा </p>	